राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–111/2023–35

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
भोजपुर।

पटना, दिनांक – 4.1.24

विषय :– नाम निर्देशन से संबंधित प्राप्त परिवाद के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री लाल बहादुर महतो, पंचायत समिति सदस्य, पश्चिमी भाग–6, प्रखंड–बिहिया, जिला–भोजपुर का परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है जो बिहिया प्रखण्ड के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाई जाने वाली अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच वरीय पदाधिकारी से करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

04/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प0नि0 30–111/2023–35 पटना, दिनांक– 4.1.24

प्रतिलिपि : श्री लाल बहादुर महतो, पंचायत समिति सदस्य, पश्चिमी भाग–6, प्रखंड–बिहिया, जिला–भोजपुर (PS202312291247558) को सूचनार्थ प्रेषित।

04/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प0नि0 30–111/2023–35 पटना, दिनांक– 4.1.24

प्रतिलिपि : आई.टी.सेल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को समाधान पोर्टल पर अपलोड हेतु प्रेषित।

04/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प0नि0 30–111/2023–35 पटना, दिनांक– 4.1.24

प्रतिलिपि : लोक शिकायत निवारण कोषांग, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक प0नि0 30–111/2023–35 पटना, दिनांक– 4.1.24

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/01/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

31.12.23

Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

बिहिया प्रखण्ड के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाई जाने वाली अविश्वास प्रस्ताव स्थगित करने के संबंध में आवेदन पत्र

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com> Sun, Dec 24, 2023 at 1:24 PM
To: Sk GUPTA <samwad1973@gmail.com>

On Sat, Dec 23, 2023 at 8:30 PM Sk GUPTA <samwad1973@gmail.com> wrote:

> Sir,
> Plz find the attachment.
>
> Thanks & Regards
>
> Lal Bahadur Mahto
> Panchayat Samiti Sadasya
> Pashchimi Bhag- 06 Kamariaon
> Block- Bihiya (Bhojpur)

--
State Election Commission
Bihar

Mail Recieved.docx
19K

11096
24.12.23

Gmail State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

बिहिया प्रखण्ड के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाई जाने वाली अविश्वास प्रस्ताव स्थगित करने के संबंध में आवेदन पत्र

1 message

Sk GUPTA <samwad1973@gmail.com> Sat, Dec 23, 2023 at 8:30 PM
To: dm-bhojpur.bih@nic.in, sdojagdishpur@gmail.com, secy-sec-bih@nic.in, secbihar@gmail.com

Sir,
Plz find the attachment.

Thanks & Regards

Lal Bahadur Mahto
Panchayat Samiti Sadasya
Pashchimi Bhag- 06 Kamariaon
Block- Bihiya (Bhojpur)

APPLICATION.pdf
777K

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय

भोजपुर, आरा

विषय- राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र सं0- प0नि030-149/2008-2535 के कंडिका - XVI पेज नं0- 22 के अनुसार बिहिया प्रखण्ड के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाई जाने वाली अविश्वास प्रस्ताव स्थगित करने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि हम सभी बिहिया प्रखण्ड से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य है । प्रखण्ड में कुल पंचायत समिति सदस्यों की संख्या (19) उन्नीस है । बहुमत के लिए कुल दस (10) सदस्यों की आवश्यकता होती है । वर्तमान में बिहियॉ प्रखण्ड के प्रमुख एवं उपप्रमुख अल्पमत में है । सदन का विश्वासमत खो चुके है । इसलिए हमलोगों के प्रमुख प्रत्याशी ग्राम पंचायत मझौली के पंचायत समिति सदस्य श्रीमति गीता देवी का अपहरण बिहियॉ प्रखण्ड प्रमुख श्रीमति प्रतिमा देवी वो उनके पति श्री कन्हैया सिंह एवं उप प्रमुख मुकेश कुमार यादव द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कर लिया गया है । जिसमें बिहिया थाना काण्ड सं0- 323/23 दर्ज किया गया है । अपहरण का मुख्य उद्देश्य खुद के समर्थक सदस्यों के साथ अविश्वास प्रस्ताव डालकर किसी प्रकार गैर कानुनी तरीके से बहुमत के लिए कुल दस (10) सदस्यों को सदन से बाहर रख कर विश्वास मत हासिल कर सिद्ध करना है । जो कानुन संगत नहीं है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन पूर्वक कहना है कि जब तक अपहृता पंचायत समिति सदस्य श्रीमति गीता देवी को भोजपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा सकुशल बरामद करके माननीय न्यायालय भोजपुर (आरा) में धारा (164) के तहत ब्यान दर्ज नहीं करा दिया जाता है तब-तक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र सं0- प0नि030-149/2008-2535 के कंडिका - XVI पेज नं0- 22 के अनुसार बिहिया प्रखण्ड के पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाई जाने वाली अविश्वास प्रस्ताव को स्थगित करने की कृपा प्रदान किया जाये ।

अनुलग्नक-

(1) एफ.आई.आर की छायाप्रति

(2) राज्य निर्वाचन नियमावली की छायाप्रति

विश्वासभाजन

(1) लाल बहादुर महतो

लाल बहादुर महतो
पंचायत समिति सदस्य
पंचायत सं 06 कमरियाव

(2) आमना खातुन

प्रतिलिपि-

(1) जिला पंचायति राज्य पदाधिकारी भोजपुर (आरा)

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार (पटना)

(3) अनुमण्डल पदाधिकारी, जगदीशपुर (भोजपुर)

(4) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी बिहिया (भोजपुर)

(5) थानाध्यक्ष - बिहियॉ

(3) नन्दकिशोर यादव

प्रखण्ड पंचायत समिति बिहिया, भोजपुर
'नन्द किशोर यादव'
पंचायत समिति सदस्य
पूर्वी भाग 7 [illegible]

(4) रामायण पासवान

प्रखण्ड पंचायत समिति बिहिया भोजपुर
रामायण पासवान
पंचायत समिति सदस्य
संख्या--08 गौडाढ़--रुद्रनगर

(5) [illegible] देवी

पंचायत समिति सदस्य क्षे० सं०-03
ग्राम पंचायत शिवपुर
प्रखण्ड-बिहिया, जिला-भोजपुर

(6) उषा देवी

प्रखण्ड पंचायत समिति बिहिया, भोजपुर
'उषा देवी'
पंचायत समिति सदस्य
भाग- 5 तीयर

(7) कुमारी सुमन

पंचायत समिति सदस्य
ग्रा0 नि0 क्षे0 स0-18 प0 कटेया
प्रखण्ड-बिहिया (भोजपुर)

(8) गीता देवी

गीता देवी
पंचायत समिति सद[illegible]
ग्राम पंचायत धा[illegible]

(9) राकेश कुमार शर्मा

प्रखण्ड पंचायत समिति बिहिया, भो[illegible]
'राकेश कुमार शर्मा'
पंचायत समिति सदस्य
भाग- 13 [illegible]

सेवा में

श्री मान थाना प्रभारी महोदय

बिहिया थाना भोजपुर

विषय– मेरी माँ गीता देवी का अपहरण करने के संबंध मे।

महाशय

निवेदन पूर्वक कहना है कि मै विध्यांचल कुमार उम्र 25 पिता विजय प्रसाद ग्राम मड़सरा थाना बिहिया जिला भोजपुर का निवासी हू। मेरी मां गीता देवी पंचायत समिति सदस्य है। दिनाक 18/12/2023 को संध्या समय शौच करने के लिए गई थी तो वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी पता नही चला।18/12/2023 को मुकेश यादव पिता कृष्णा यादव ग्राम– बेला मझौली, थाना बिहिया, जिला– भोजपुर का निवासी है। जो उन्होंने बताया कि तेरा माँ का अपहरण हुआ है। पांच लाख रूपया या हमको और प्रमुख प्रतिमा देवी के पक्ष में वोट देने का लिखित एग्रीमेंट करने पर तुम्हारी माँ जिंदा मिल जाएगी। प्रतिमा देवी से फोन पर बात हुई तो बोली मा को जिंदा चाहते हो तो मुकेश यादव मनोज यादव जैसा बोलते है वैसा ही करो जब हमने बोला की हम पैसा देगे तो उन्होंने कहा कि पैसा लेकर झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के बंगाली पड़ा के सरोज सिंह के आवास में है। मामले को लेकर अपने पिताजी विजय प्रसाद को बता दिए। पिताजी विजय प्रसाद कुछ लोगो के साथ धनबाद के बाघमारा पहुचे तो सरोज सिंह ने कहा कि पैसा लाये हो। जब पिताजी बोले की मेरी पत्नी को हमसे मिला दीजिये जितना पैसा चाहिए उतना हम गांव से पैसा ला देंगे। इतने में मेरे पिताजी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर भागा दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ का अपहरण पैसे के लिए मुकेश यादव सहित, कन्हैया सिंह बिहिया प्रमुख के पति ग्राम कुण्डेश्वर, सीताराम यादव पिता प्रयाग यादव ग्राम मड़सरा, मनोज यादव पिता स्वर्गीय रामअसरे यादव ग्राम आनर वर्तमान पता लवकुश गली बिहिया सभी थाना बिहिया, जिला भोजपुर तथा उनके दो अन्य सहयोगी व्यक्ति द्वारा जबरन मेरी माँ को उप प्रमुख बोर्ड लगे वाहन से उठाकर अपहरण कर लिये है। ये लोग दबंग किस्म के लोग है। ये लोग पांच लाख रूपये रंगदारी माग रहे है तथा रूपये नहीं देने पर मेरी माँ समेत परिवार के सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान देते हुए इनलोगो के विरुद्ध कानूनी कारवाई करते हुए मेरी माँ को सकुशल बरामद करने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं महाशय का सदा आभारी रहूंगा।

आपका विश्वासी

विंध्याचल कुमार

Vindhachal Kumar

(विध्यांचल कुमार)

पिता– विजय प्रसाद

ग्राम– मड़सरा, थाना– बिहिया

मो0– 6201112642

सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम 8 मतों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में कोई मत–विभाजन नहीं कराया जाएगा। कार्यवाही में इस बात का उल्लेख कर दिया जाएगा कि मत विभाजन क्यों नहीं कराया गया है।

(xv) अगर कोई प्रमुख/उप प्रमुख अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दिए जाने पर अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, तो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44 (1) के अनुसार वह त्यागपत्र देने की तिथि से सातवें दिन तक अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक उक्त सात दिन की अवधि बीत जाने के पश्चात् पड़ती है, एवं त्यागपत्र स्वीकृत हो जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आयोजित करने की कोई आवश्यकता नही है, क्योंकि त्यागपत्र मंजूर हो जाने के कारण उक्त पद स्वतः रिक्त हो गया है। किन्तु अगर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक उक्त सात दिनों की अवधि के अन्दर पड़ जाती है जिसके दौरान वह त्यागपत्र वापस ले सकता है, तो अविश्वास प्रस्ताव की बैठक स्थगित नहीं की जाएगी तथा नियमानुसार मत विभाजन कराया जाएगा।

(xvi) प्राकृतिक आपदा अथवा विधि–व्यवस्था की असामान्य परिस्थिति में ही जिला पदाधिकारी का आदेश प्राप्त कर अविश्वास प्रस्ताव के लिए नियत बैठक को दूसरी तिथि तक के लिए स्थगित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। जिला पदाधिकारी अपने इस अधिकार का उपयोग बहुत सावधानी से सारवान स्थितियों के आधार पर ही करेंगे।

(xvii) अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक में केवल अविश्वास प्रस्ताव के बिन्दु पर चर्चा की जाएगी, अन्य किसी विषय पर नहीं।

(xviii) बैठक की पूरी कार्यवाही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उसी दिन अभिलिखित की जाएगी, तथा उस पर पीठासीन सदस्य एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा। अगर पीठासीन सदस्य कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करे तो कार्यपालक पदाधिकारी इस बात का उल्लेख कार्यवाही के अंत में कर देगा। कार्यवाही की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी तथा पंचायत

State Election Commission, Bihar

29/12/2023

Samadhan

Complaint Details

Pending

Complaint Number	PS202312291247558	**District**	भोजपुर
Complaint Mode	ईमेल	**Block Name**	बिहियाँ
Complaint Source	राज्य निर्वाचन आयोग	**Panchayat Name**	घाघा
Information Type	शिकायत	**Ward**	N/A
Complaint Type	अन्य	**Name Of Complainant**	LAL BAHADUR MAHTO
Nature Of Complaint	अन्य		
Description Of Complaint	AWISVAS PRASTAW STHAGIT KARNE HETU		
Letter Date	24/12/2023	**Document Of Complaint**	**View**
Date	29/12/2023 12:48:25	**Phase**	पंचायत आम निर्वाचन - 2021
Assigned To	**भोजपुर**		